

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अंजड जिला-बड़वानी (म.प्र.)
(समक्ष: शरद जोशी)

दिवानी प्र.क्रमांक- 32ए/2016

नया नम्बर क्रं0 13ए/2018

संस्थित दिनांक-26.11.2016

1. मृतक गोपाल बंसल के विधिक प्रतिनिधी,
 - अ. अनिता पति स्व. गोपाल बंसल आयु- 53 वर्ष,
निवासी बड़वानी रोड अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)
 - ब. वैभव बंसल पिता स्व. गोपाल बंसल उम्र 3वर्ष,
निवासी बड़वानी रोड अंजड, जिला बड़वानी,
हाल मुकाम -कार्यालय वैभव चैम्बर्स, 7/1, उषा गंज
छावनी इन्दौर म.प्र.
 - स. कुमारी विभा पिता स्व. गोपाल बंसल उम्र 32 वर्ष,
बड़वानी रोड अंजड, जिला बड़वानी हाल मुकाम -कार्यालय वैभव
चैम्बर्स, 7/1, उषा गंज छावनी इन्दौर म.प्र.
 - द. कुमारी अदीती पिता स्व. गोपाल बंसल उम्र 29 वर्ष,
निवासी बड़वानी रोड अंजड, जिला बड़वानी हाल मुकाम
-कार्यालय वैभव चैम्बर्स, 7/1, उषा गंज छावनी इन्दौर म.प्र.
- वादीगण

विरुद्ध

1. सुरेश पिता स्व. रामेश्वरम बंसल
निवासी फोंगला गली, अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.
2. भगवानदास पिता स्व. रामेश्वरम बंसल,
निवासी बस स्टैंड निवाली, जिला बड़वानी म.प्र.

-----प्रतिवादीगण

// आदेश //

(आज दिनांक 28.04.2018 को पारित)

01. इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अर्थात् अंतर्वर्तीय आवेदन पत्र क्रमांक 2 का निराकरण किया जा रहा है जिसके माध्यम से वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्रायवेट लिमिटेड अंजड कंपनी के भवन प्लांट, मशीनरी व पट्टा विलेख भूमि के संबंध में यथा स्थिति कायमी के उद्देश्य से उक्त भूमि प्लांट सर्वे क्रं. 46 (46/2) रकबा 4.86 एकड़ नगर अंजड जिला बड़वानी के विक्रय व अंतरण को रोके जाने हेतु वाद के निराकरण तक निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया है।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि, वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं0 1 के नाम से पंजीकृत है एवं प्रतिवादी कं0 1 के द्वारा नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्रायवेट लिमिटेड अंजड़ जिला बड़वानी को 12 वर्ष की अवधि पर पट्टे पर प्रदान की गयी। मृतक वादी गोपाल बंसल कंपनी के प्रबंध निदेशक थे और प्रतिवादी कं0 1 सुरेश व प्रतिवादी कं0 2 भगवानदास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होकर तीनों ही सगे भाई हैं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि, वादग्रस्त भूमि पर कंपनी के द्वारा जीनिंग,प्रेसिंग,ऑयल मील,तोल काटा एवं अन्य आर.सी.सी. का निर्माण किया गया है,किन्तु वर्तमान में कंपनी लगभग 15 वर्षों से बंद पड़ी है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि, वादी गोपाल बंसल की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके विधिक प्रतिनिधी के रूप में पत्नि तथा उसे पुत्र,पुत्रियों को वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

03. वादीगण द्वारा आवेदन संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, वादी नर्मदा कॉटन ओवरसिज प्रा.लि. अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र. कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। प्रतिवादी कं. 1 कंपनी के निदेशक तथा रिश्ते में वे वादी के छोटे भाई के नाम से पंजीकृत भूमि सर्वे कं. 46 (46/2) रकबा 4.86 एकड़, नगर अंजड़, जिला बड़वानी के पट्टा-विलेख के आधार पर उल्लेखित भूमि पर कंपनी का भवन, प्लांट, मशीने, संबंधित सामग्री आदि अधिष्ठापित हैं। उक्त वादी की कंपनी के उल्लेखित प्रश्नगत भूमि पर अपने अधिकार व पट्टा-विलेख की निरन्तरता अन्तर्गत आधिपति होने के कारण, वादी के समेकित निवेश व निर्देशन में विधिवत औपचारिक निर्माण किया गया है। पूर्व ऋण लिए जाने उक्त ऋण को सहमतिपूर्वक चुकाए जाने के कारण ऋण विषयक वसूली प्रकरण, कुर्की आदि वर्तमान परिस्थिति में अप्रभावी होते हैं। वादी की कंपनी नुकसानी के कारण वाणिज्यकर का भुगतान नहीं कर सकी जिसके कारण वाणिज्यकर विभाग द्वारा उक्त बकाया कर वसूली कुर्की करने संबंधित दस्तावेजी रूप में सांकेतिक कार्यवाही की गई है।

कंपनी की आंतरिक व्यवस्थाओं अन्तर्गत, वादी की कंपनी द्वारा प्रतिवादी कं. 1 से पट्टे विलेख के आधार पर आधिपत्य में ली गई की भूमि की पट्टा अवधि दिनांक 31.03.2006 को समाप्त होनी थी तथा प्रतिवादी कं0 1 को कंपनी के पट्टे विलेख का निरन्तरता अन्तर्गत वर्ष 2006 में नवीनीकरण करना था, जो प्रतिवादी कं0 1 ओर से जानबूझकर नहीं किया गया। वादी कंपनी के पट्टे विलेख के नवीनीकरण के पूर्व ही वादी की कंपनी पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वाद संस्थित किए गये, इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादी कं. 1 को मौखिक रूप से कंपनी की भूमि का पट्टे विलेख का नवीनीकरण का आग्रह किया जिसकी दुराशय अन्तर्गत प्रतिवादी कं. 1 अवहेलना करते रहें।

दिनांक 31.03.2006 से वादी द्वारा प्रतिवादी कं. 1 से पट्टा विलेख-नवीनीकरण के निरन्तर आग्रह, परिणामतः प्रतिवादी की ओर से अवहेलना व वादी की कंपनी पर विविध निकायों की ओर से प्रकरणों की उलझनों के

दृष्टिगत, वादी की कंपनी द्वारा दिनांक 12.12.2009 में, उक्त भूमि के पट्टे विलेख के नवीनीकरण के आग्रह के लिए एक लिखित अनुरोध प्रेषित किया, स्वभावतः प्रतिवादी कं. 1 की ओर से दुराश्यपूर्वक पुनः अवहेलना करते हुए कोई कार्यवाही नहीं की है। वादी की कंपनी का समस्त भवन, प्लांट व भूमि पर पट्टा विलेख के औपचारिक विधिवत निरस्तीकरण नहीं होने के कारण आज दिनांक तक वादी की कंपनी का ही अधिकृत वैधानिक प्रतिनिधित्व आधारित आधिपत्य रहा है। वादी कंपनी की समस्त मशीनें, प्लांट तथा औद्योगिक उत्पादन से संबंधित विविध सामग्री भी आज दिनांक तक उक्त भूमि पर स्थापित व विधि अनुरूप संरक्षित है। वादी को धोखा देने की नियत से, प्रतिवादी कं. 1 उक्त भूमि व प्लांट को अवैधानिक रूप से विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस हेतु उनकी गतिविधि अवैधानिक व अनुपयुक्त है। अतः प्रतिवादी कं. 1 के विरुद्ध उक्त कंपनी के भवन प्लांट, मशीनरी व पट्टा विलेख भूमि के संबंध में यथा स्थिति कायमी के उद्देश्य से उक्त भूमि प्लांट सर्वे कं. 46 (46/2) रकबा 4. 86 एकड़ नगर अंजड जिला बडवानी के विक्रय को रोके जाने हेतु वाद के निराकरण तक निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आवेदन के अभिकथनों का खंडन करते हुये जवाब संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा भूमि पर अवैधानिक कब्जा प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं. 1 के स्वामित्व की होने से बैंक से सम्पूर्ण प्लांट मुक्त होने के पश्चात् प्रतिवादी कं. 1 के आधिपत्य में चली आ रही है तथा नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्रायवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा किया होने से नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्रायवेट लिमि. की समस्त सम्पत्ति पर धाराणाधिकार नाते अधिकार चला आ रहा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी पारिवारिक बटवारे दिनांक 19. 09.1980 को हो चुके होकर 19.09.1980 के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। प्लांट को बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड के द्वारा जप्ती में लिया जाकर बैंक की जप्ती में कुछ माह पूर्व तक था, प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा अपनी व्यक्तिगण पूँजी से ऋण राशि का भुगतान कर नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्राय. लिमि. के प्लांट को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध से मुक्त करवाया।

प्रतिवादी कं.1 के द्वारा बैंक में जमा किये गये राशि की जमा रसीदे जवाब के साथ पेश है। प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा अपनी व्यक्तिगण पूँजी से ऋण राशि पूर्ण भुगतान कर कंपनी की मशीनी पर अपना पुनः अधिकार प्राप्त किया था तथा प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा 12 वर्ष से अधिक की कोई लीज या उसका नवीनीकरण नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्राय.लिमि. के पक्ष में नहीं किया होने से तथा ऋण प्रकरण में बैंक के द्वारा भूमि की कोई जप्ती नहीं की गयी थी। मात्र प्लांट की जप्ती की गयी थी। इसलिये ऋण राशि अदा होने पर वादग्रस्त

भूमि के बैंक के आधिपत्य से मुक्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्रा.लि. की ओर से बैंक ऋण की राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

वाद पत्र के उन्मान में वादी के द्वारा स्वयं को नर्मदा कॉटन ओवरसीज का प्रबंध निर्देशक बतलाते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु नर्मदा कॉटन ओवरसीज की ओर से वाद के लिये प्रबंध निर्देशक को अधिकृत किया गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव या अधिकृत पत्र प्रस्तुत नहीं किया होने से वाद इसी आधार पर निरस्त योग्य है। कंपनी जब से बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कब्जे में ली गयी थी तब से बंद है तथा तब से उसके द्वारा न तो कोई व्यापार किया गया और न ही कोई आय अर्जित की गयी है, बैंक का भुगतान कंपनी की ओर से नहीं किया गया है। कंपनी के निर्देशक सुरेश बंसल के द्वारा व्यक्तिगण पूँजी से बैंक की ऋण राशि का भुगतान किया गया है तथा प्लांट व मशीनरी वर्तमान में भी विक्रय कर विभाग की जप्ती में है। जिसमें आंशिक राशि सुरेश बंसल के द्वारा अपनी व्यक्तिगण पूँजी से जमा की गयी है तथा सेटलमेंट का प्रयास जारी है। भविष्य में विक्रय कर विभाग में भी समझौता कर राशि सुरेश बंसल के द्वारा व्यक्तिगण पूँजी से जमा की जावेगी। जबकि वादी स्वयं जानता है कि, वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय लेख प्रतिवादी कं. 1 के नाम से है तथा प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा वादग्रस्त भूमि को नर्मदा कॉटन ओवरसीज प्राइ.लिमि. को 12 वर्ष की लीज पर दी थी तथा लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया होने से वादी से प्रतिवादीगण विशेष हर्जाना राशि 50,000/- रुपये पाने के अधिकारी है। वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तत्वों की पूर्ति नहीं करता होने से आवेदन पत्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

05. प्रकरण में विचारणीय बिंदु निम्नानुसार हैं :-

- अ. क्या वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?
- ब. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- स. क्या वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने की दशा में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी ?

विचारणीय बिन्दु कमांक अ,ब व स के संबंध में

06. उक्त तीनों विचारणीय बिन्दु के निराकरण में तथ्यों की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिये तीनों विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

07. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत नगर पालिका परिषद मलजखंड विरुद्ध हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009 (1) एम.पी.एच. टी. 48 में इस आशय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये अनुतोष अपने प्रथम दृष्ट्या प्रकरण को दर्शित करने के लिये वादी को अपना स्वत्व स्पष्ट रूप से स्थापित करना आवश्यक नहीं होता है, और वादी से केवल यही अपेक्षा की जा सकती है कि, वह न्यायालय का यह समाधान कर दे कि, जिस विधिक अधिकार का दावा उसके द्वारा किया जा रहा है, उस विधिक अधिकार के अस्तित्व के बारे में उठाये जाने के लिये उसके पास सद्भाविक प्रश्न है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत शंकरलाल राठौर विरुद्ध स्टैट ऑफ एम.पी. जे.एल.जे. में इस आशय का अभिमत दिया गया है कि, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण का तात्पर्य यह होता है कि, विचारण के दौरान उठाये जाने के लिये गंभीर एवं सद्भाविक प्रश्न उस व्यक्ति के पास है, जो अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, और उसका दावा मात्र तुच्छ या निरर्थक या मात्र तंग करने वाला नहीं है। इस हेतु सर्व प्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि, क्या प्रथम दृष्ट्या वाद वादीगण के पक्ष में है, अर्थात् वादीगण द्वारा किये गये अभिवचन के आधार पर वादीगण के सफल होने की संभावना है।

08. प्रकरण में जहां तक प्रथम दृष्ट्या का प्रश्न है वादी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है, कि वादग्रस्त भूमि मृतक वादी गोपाल बंसल एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 सुरेश बंसल के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई थी। सुरेश बंसल छोटा भाई होने के कारण जमीन के विक्रय पत्र का पंजीयन पारिवारिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा कराया गया था। पश्चात् भूमि पर समस्त प्लॉट भवन आदि पट्टा विलेख लीज अनुबंध दिनांक 01.04.1995 के अंतर्गत नियमानुसार लिखित व निष्पादित की गई है। अतः सम्पूर्ण सम्पत्ति का वैधानिक प्रतिनिधित्व व आधिपत्य नर्मदा ओवरसीज प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी में वादी की कम्पनी के अधिकारों में रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादग्रस्त भूमि पर अनूचित लाभ लेते हुए वाद ग्रस्त भूमि का विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वादग्रस्त भूमि अंतरित या विक्रय कर दी गई तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। अतः प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि के अंतरण पर रोक लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य अभिलेख पर है।

09. इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 01 के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है, कि वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वत्व व स्वामित्व की है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वाद ग्रस्त भूमि वादी कम्पनी को दिनांक 01.04.1995 के पट्टे विलेख के आधार पर 12 वर्ष के लिये लीज पर ली थी। जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है जिसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ है, वाद ग्रस्त भूमि पर जो प्लॉट निर्मित किया गया है इस बाबद बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण प्राप्त किया गया था। ऋण का भूगतान न होने के कारण बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्लॉट को जप्ती में लिया गया था। जिसे प्रतिवादी

क्रमांक 01 ने व्यक्तिगत आय से ऋण का भूगतान कर प्लॉट को बंधक मुक्त कराया है, पट्टे के नवीनीकरण न होने से पट्टा स्वमेव समाप्त हो चुका है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 01 को अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि को अंतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया है, कि वादी गोपाल बंसल की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक प्रतिनिधियों का नर्मदा काटन ओवरसीज प्रायवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है, और ना ही उन्हें कोई लोकस स्टैण्डाई है। अतः वादी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं है इस कारण सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है, और प्रतिवादी क्रं. 1 को अंतरण पर रोक लगाई गई तो प्रतिवादी क्रमांक 01 को अपूणीय क्षति कारित होगी। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. परस्पर विरोधी तर्कों के प्रकाश में यह स्पष्ट है, कि मृतक वादी एवं प्रतिवादी क्रं. 01 सगे भाई हैं। वादी ने यह अभिकथन किया है, कि वाद ग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 ने संयुक्त रूप से क्रय की थी। किन्तु पारिवारिक व्यवस्था एवं वात्सल्य के कारण एवं छोटे भाई होने के कारण प्रतिवादी क्रं. 01 के नाम से भूमि का पंजीयन कराया गया है, यद्यपि वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रं. 01 के नाम से पंजीकृत है अतः बेनामी संव्यवहार अधिनियम के अंतर्गत यह अवश्य विचार योग्य हो सकता है। किन्तु वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद के निराकरण हेतु गंभीर प्रश्न प्रस्तुत किये हैं, जिनका निराकरण गुण दोषों के आधार पर साक्ष्य लिये जाने के उपरांत ही संभव है। यह भी उल्लेखनीय है, कि कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सेंधवा द्वारा दिनांक 13.03.2018 के पत्र द्वारा वादग्रस्त भूमि की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है एवं जिला रजिस्टार बडवानी से यह अनुरोध किया गया है कि बकाया राशि की वसूली होने तक वाणिज्यिक कर विभाग के अनापति प्रमाण-पत्र के बिना विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं किया जावे।

11. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वादी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है यदि वाद ग्रस्त सम्पत्ति किसी अन्य को अंतरित कर दी गई तो वाद बाहुल्यता बड़ेगी एवं अनेक उलझने उत्पन्न होकर वाद के निराकरण में विलम्ब कारित होगा। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत मेहरवाल खेवाजी ट्रस्ट (रजिस्टर्ड), फरिदकोट विरुद्ध बलदेवदास 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 6333 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि,**

.....the court should not permit the nature of party being changed which also includes alienation or transfer of the property which may lead to loss or damage being caused to the party who may ultimately succeed and may further lead to multiplicity of

proceedings.

12. उपरोक्त विवेचना से एक सीमित अवधि के लिये वाद ग्रस्त सम्पत्ति के अंतरण पर रोक लगाया जाना न्यायसंगत व उचित होगा यदि वाद ग्रस्त सम्पत्ति अंतरित कर दी जाती है तो निश्चित ही वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रतिवादी क्रमांक 01 की तुलना में वादी के पक्ष में है और संपत्ति अंतरित कर दी जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रतिवादी क्रमांक 01 की तुलना में वादी को होने की संभावना है।

13. अतः वादीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र. सं. स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रं. 1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि:-

- अ. प्रतिवादी क्र० 1 वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रं. 46 (46/2) रकबा 4.86 एकड़ नगर अंजड़ जिला बड़वानी किसी को भी अंतरित या भारग्रस्त नहीं करे।
- ब. यह आदेश, आदेश दिनांक से 6 माह की अवधि तक अथवा प्रकरण के निराकरण होने तक जो भी पहले हो, तक प्रभावशाली रहेगा। उभय पक्ष इस अवधि में अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग प्रदान करेंगे, अन्यथा आदेश पुनर्विचार योग्य होगा।

14. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, इस आदेश में व्यक्त किये गये मत् या दिये गये निष्कर्ष आई.ए.नंबर-2 के निराकरण के सीमित प्रयोजन के लिये ही व्यक्त किये गये हैं, या दिये गये हैं, और इन मतों या निष्कर्षों को वादीगण के वाद के गुण-दोषों के आधार पर होने वाले अंतिम निराकरण को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जावेगा।

15. वाद के अंतिम निराकरण पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

16. आवेदन पत्र के व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/-
(शरद जोशी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
अंजड़, जिला बड़वानी म0प्र0

सही/-
(शरद जोशी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0